



## कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक ३०/री०ए०डी०ए०/२०१७

इन्दौर, दिनांक २३/०५/२०१७

( अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 )

शहर में विगत दिनों घटित कुछ घटनाओं के माध्यम से तथा पुलिस व नगर पालिक निगम द्वारा समय-समय पर अवगत कराये गये अनुसार तथा अखबारों आदि के माध्यम से यह बिन्दु प्रमुख रूप से प्रकाश में आया है कि शहर में अनियंत्रित आवारा पशुओं के स्वच्छं विचरण व इन पशुओं के घायल तथा मृत पाये जाने पर कई बार कानून एवं व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई है। शहर में इस प्रकार के आवारा पशुओं के स्वच्छं विचरण के कारण जहां एक ओर यातायात अवरुद्ध तो होता ही है साथ में गंभीर दुर्घटना होने की आशंका भी बनी रहती है। शहर में आवारा पशुओं के शहर में स्वच्छं विचरण के दौरान कई बार बेकाबू हो जाने से आमजन की जान-माल को खतरा उत्पन्न हो जाता है। विगत कुछ दिनों में शहर में इस प्रकार की घटित घटनाओं से शहर में अशांति व्याप्त होने की आशंका निर्मित हो रही है तथा तनाव व साम्प्रदायिक स्थिति निर्मित होने का खतरा लगातार बना हुआ है। आवारा पशुओं के स्वच्छं विचरण के दौरान शहर में किसी भी समय उनकी इन हरकतों की आशंकाएं व्याप्त होने से जन-जीवन प्रभावित हो सकता है। पूर्व में भी समय-समय पर इस संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं।

अतः इन्दौर नगर निगम सीमा में आवारा पशुओं के विचरण से कानून एवं व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति को रोकने व आमजन के जान-माल को आसन्न खतरा उत्पन्न होने की स्थिति को रोकने हेतु इस पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है।

अतः मैं पी. नरहरि, जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु इन्दौर नगर निगम सीमा में निम्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ :-

- यह कि इन्दौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर पशु पालन को पूर्णतया प्रतिबंधित किया जाता है। पशु पालको का यह दायित्व होगा कि वे अपने पशुओं को पशु पालन हेतु प्रतिबंधित एरिया के बाहर ही रखें। यदि कोई आवारा पशु इस सीमा क्षेत्र में घूमते पाये जायेंगे तो संबंधित पशु पालकों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेंगी। साथ ही नगर निगम या किसी शासकीय एजेन्सी द्वारा आवारा पशुओं की, की जा रही धरपकड़ की कार्यवाही के दौरान यदि किसी व्यक्ति द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो उसके विरुद्ध भी दण्डात्मक कार्यवाही की जावेंगी। यदि प्रतिबंधित एरिया में किसी संरचना या बाड़ में अधिक संख्या में

पशुओं का पालन करना पाया जाता है, तो ऐसी संरचना या बाड़ों को आदेश जारी होने के 07 दिनों के भीतर हटा लिया जावें अन्यथा उन्हें तोड़कर हटाया जावेगा। सार्वजनिक स्थानों यथा सड़कों आदि पर आवारा पशुओं के विचरण को उक्त आदेश के प्रभावी होने से ही प्रतिबंधित किया जाता है।

2. नगर निगम द्वारा विशेष टीमों का गठन कर लगातार आवारा पशुओं को पकड़ने की मुहिम जारी रखी जाएंगी तथा इन आवारा पशुओं को पकड़ने पर सुरक्षित कांजी हाउस में इन्हें रखा जावें तथा किसी भी स्थिति में वापस छोड़ा न जावें। ऐसे पकड़े गये आवारा पशुओं को शहर से लगभग 50-55 किलोमीटर दूरस्थ ऐसे स्थलों पर भेजा जावें, जहां आस-पास पानी तथा चारे की सहज उपलब्धता हो सकें। यदि इन पशुओं को शहर से बाहर ले जाने की कार्यवाही के दौरान यदि किसी व्यक्ति द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो उसके विरुद्ध भी दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
3. नगर निगम द्वारा इन कार्यवाहियों में व्यवधान उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों/पशु पालकों की सूची तैयार करवाकर, यानों पर प्रकरण दर्ज करावकर, उनके विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-188 की कार्यवाही सुनिश्चित कराएंगा।
4. जो स्वयं के दुध के उपयोग हेतु पशु पालन कर रहे हैं, उनके पशु वे अपने कैम्पस के अन्दर ही रखेंगे। ये पशु सार्वजनिक स्थलों पर न आने पावे, ये सभी पशु पालक सुनिश्चित करेंगे।
5. नागरिकों द्वारा हरी धास /पशु चारा क्रय कर सार्वजनिक स्थल पर मवेशियों को ख्रिलाने हेतु डाला जाना तथा इस प्रकार एवं ऐसे स्थलों पर ही धास तथा पशु चारा के विक्रय/दान आदि को प्रतिबंधित किया जाता है। यह प्रतिबंध केवल इन्डैर नगर निगम सीमा क्षेत्र में प्रभावशील रहेंगा। कोई भी व्यक्ति न तो इस प्रयोजन हेतु सार्वजनिक स्थल पर हरी धास का विक्रय करेगा और न ही ऐसे स्थलों पर पशुओं को हरी धास डालने हेतु प्रेरित करेगा। यदि कहीं ऐसा होना पाया जाता है तो तत्काल नगर निगम या अन्य शासकीय एजेंसी द्वारा मौके पर ही धास को जप्त कर नष्ट किया जावेगा। नगर निगम द्वारा इस प्रकार जप्त धास को तत्काल मौके पर से हटाने हेतु मुहिम के दौरान इस हेतु खाली वाहन भी साथ में रखेंगे।

चूंकि यह आदेश जन साधारण की सुविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है और इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व पशु पालकों एवं सभी पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें, अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यवित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के व्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दे सकेगा।

*[Signature]*  
District Magistrate,  
District Andore (M.P.)

यह आदेश दिनांक २३/०५/२०१७ को मेरे हस्ताक्षर एवं व्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया। उक्त आदेश दिनांक २४/०५/२०१७ से दिनांक २१/०७/२०१७ तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध जिलाकर्त्री शैणी में आवेगा।

( पी. नरहरि )

जिला दण्डाधिकारी,

जिला इन्दौर.

इन्दौर, दिनांक : २३/०५/२०१७

पृ० क्रमांक / १३३। री.ए.डी.एम./२०१७

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर।
2. पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर रेज इन्दौर।
3. पुलिस उप महानिरीक्षक, इन्दौर।
4. पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय)/पूर्व/पश्चिम, जिला इन्दौर।
5. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर।
6. अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर।
7. अतिपुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/पूर्व क्षेत्र/पश्चिम क्षेत्र/यातायात, इन्दौर।
8. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सेन्ट्रल कोतवाली, विजय नगर, मल्हारगंज, राऊ, जूनी इन्दौर, संयोगितागंज, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. नगर पुलिस अधीक्षक, विजयनगर, सराफा, मल्हारगंज, सेन्ट्रल कोतवाली, जूनी इन्दौर, अन्नपूर्णा, संयोगितागंज।
10. उप पुलिस अधीक्षक, जिला विशेष शाखा, इन्दौर।
11. अपर संचालक, जन सम्पर्क इन्दौर की ओर भेजकर लेख है कि वह जनसाधारण के सूचनार्थ उक्तादेश का प्रचार-प्रसार इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से आवश्यक रूप से करवाकर, कटिंग इस कार्यालय को प्रेषित करें।
12. प्रभारी अधिकारी, एन०आई०सी०, कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की बेवराईट पर अपलोड करने हेतु।
13. थाना प्रभारी, थाना ..... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ। उक्त आदेश का विस्तृत प्रचार-प्रसार लाउड स्पीकार से करवाने तथा प्रमुख स्थानों पर चर्चा हेतु अन्वेषित।
14. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर।

( पी. नरहरि )

जिला इन्दौर.

District Magistrate,  
District-Judice (M.P.)